न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—65/2019 (2019/00171) वादपत्र

अनवान

1. अब्दुल रहीम आत्मज मोहम्मद बशीर रहमानी उर्फ मोची निवासी बोराणा, तहसील रायपुर

वादी

बनाम

1. मोहम्मद सबीर आत्मज मोहम्मद बशीर रहमानी उर्फ मोची निवासी बोराणा, तहसील रायपुर
2. मोहम्मद सलीम आत्मज मोहम्मद बशीर रहमानी उर्फ मोची निवासी बोराणा,तहसील रायपुर
3. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. हरिश टेलर — **अधिवक्ता वादी**
2. जाकिर हुसैन — **अधिवक्ता प्रतिवादी**

निर्णय

दिनांकः—26.05.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के सयुंक्त खातेदारी कृषि एवं संयुक्त कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 4213 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 4214 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 4215 रकबा 0.42 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.86 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 14 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ पेश की है। वाद पत्र की कलम नं0 1 में अंकित आराजियात में वादी का 1/3 हिस्सा निहित है व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार ग्राम बोराणा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकारी की आराजी संख्या 4228 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 4253 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 4254 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 4255 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 4256 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 4262 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 4265 रकबा 0.23 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.47 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 16 पर दर्ज होकर स्थित है। उक्त वर्णित भूमियो में 1/2 हिस्सा वादी के पिता से विरासत में मुस्लिम विधि अनुसार उनके पुत्र पुत्रियो के नाम दर्ज हुआ तथा 1/2 हिस्सा वादी व प्रतिवादी के चाचा द्वारा विक्रय [illegible] की गई जो पुनः वादी व प्रतिवादी द्वारा क्रय की गई एवं अपनी बहिनो के नाम का हक त्याग [illegible] अपने नाम करवा दी जिससे इस कलम में वर्णित भूमि में वादी का 13/54 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का [illegible] हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 13/36 हिस्सा बनता है। वादी [illegible] व प्रतिवादी अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी के सामलाती रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:32:35 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज होने से तथा हिस्सा अलग से निर्धारित नही होने से वादी के अपने हक व हिस्से को विकास आदि कर कृषि उपयोग उपभोग हेतु भूमि सुधार करने में तथा लगान जमा कराने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिससे वादी वाद पत्र की कलम नं0 1 में अंकित आराजियात कुल किता 3 कुल रकबा 0.86 है0 मे वादी का 1/3 हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर एवं इसी प्रकार वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजियात कुल किता 7 कुल रकबा 1.47 है0 में वादी का 15/54 हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोले जाने की विभाजन की अज्ञाप्ति बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमाई जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 03.09.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4 फोरमल पक्षकार है जिससे वादी द्वारा कोई अनुतोष नही चाहा गया।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अपने जवाब एवं काउन्टर क्लेम में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने 1/3—1/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर विभाजन होकर दोनो पक्ष अलग अलग काश्त करते चले आ रहे है। वादी द्वारा जो वाद में जो हिस्से दर्शाये गये है वो गलत होकर वादी का 2/9 व प्रतिवादी प्रत्येक का 7/18 हिस्सा बनता है। इसी अनुसार काउन्टर क्लेम पेश करते हुए विभाजन चाहा गया जो स्वीकार फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष को सुनते हुए इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.12.2021 को वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के सयुंक्त खातेदारी कृषि एवं संयुक्त कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 4213 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 4214 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 4215 रकबा 0.42 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.86 है0 भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्से का एवं इसी प्रकार ग्राम बोराणा की आराजी संख्या 4228 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 4253 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 4254 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 4255 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 4256 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 4262 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 4265 रकबा 0.23 है0 कुल किता [illegible] रकबा 1.47 है0 भूमि में मुस्लिम लॉ के अनुसार वादी का 15/54 हि[illegible] का 13/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 13/36 हिस्से का मौके पर [illegible] में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन [illegible] जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:32:35 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 16.05.2022 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 11 में प्रस्तावित आराजी संख्या 4256/2 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 4262 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 4228/1 रकबा 0.04 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.38 है0 भूमि अब्दुल रहीम पिता मोहम्मद बसीर मोची मुसलमान सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 4254/1 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 4253/2 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 4228/3 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.50 है0 भूमि मोहम्मद सबीर पिता मोहम्मद बसीर मोची मुसलमान सा.देह रहन बी.ओ.बी. रायपुर एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 4255/1 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 4265 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 4228/2 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.50 है0 भूमि मोहम्मद सलीम पिता मोहम्मद बसीर मोची मुसलमान रहन बी.ओ.बी. रायपुर एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 4253/1 रकबा 0.02 है0 कुआं, आराजी संख्या 4254/2 रकबा 0.01 है0 रास्ता, आराजी संख्या 4255/2 रकबा 0.05 है0 रास्ता, आराजी संख्या 2456/1 रकबा 0.01 है0 रास्ता कुल किता 4 कुल रकबा 0.09 है0 भूमि अब्दुल रहीम 1/3, मोहम्मद सबीर 1/3 मोहम्मद सलीम 1/3 पिता मोहम्मद बसीर मोची मुसलमान सा.देह खातेदार रहन बी.ओ.बी. रायपुर तथा खाता संख्या 12 में प्रस्तातिव आराजी संख्या 4215/1 रकबब 0.29 है0 भूमि अब्दुल रहीम पिता मोहम्मद बसीर रहमानी मुसलमान सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 4213/2 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 4214/2 रकबा 0.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.28 है0 भूमि मोहम्मद सबीर पिता मोहम्मद बसीर रहमानी सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 4213/1 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 4214/1 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 4215/2 रकबा 0.13 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.29 है0 भूमि मोहम्मद सलीम पिता मोहम्मद बसीर रहमानी मुसलमान के [illegible] करते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा [illegible] वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2022 को खोले [illegible] जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:32:35 IST
Reason: SelfAttested

26/05/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–65/2019 (2019/00171) वादपत्र

अनवान

1. अब्दुल रहीम आत्मज मोहम्मद बशीर रहमानी उर्फ मोची निवासी बोराणा, तहसील रायपुर

वादी

बनाम

1. मोहम्मद सबीर आत्मज मोहम्मद बशीर रहमानी उर्फ मोची निवासी बोराणा, तहसील रायपुर
2. मोहम्मद सलीम आत्मज मोहम्मद बशीर रहमानी उर्फ मोची निवासी बोराणा,तहसील रायपुर
3. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 11 में प्रस्तावित आराजी संख्या 4256/2 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 4262 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 4228/1 रकबा 0.04 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.38 है0 भूमि अब्दुल रहीम पिता मोहम्मद बसीर मोची मुसलमान सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 4254/1 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 4253/2 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 4228/3 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.50 है0 भूमि मोहम्मद सबीर पिता मोहम्मद बसीर मोची मुसलमान सा.देह रहन बी.ओ.बी. रायपुर एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 4255/1 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 4265 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 4228/2 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.50 है0 भूमि मोहम्मद सलीम पिता मोहम्मद बसीर मोची मुसलमान रहन बी.ओ.बी. रायपुर एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 4253/1 रकबा 0.02 है0 कुआं, आराजी संख्या 4254/2 रकबा 0.01 है0 रास्ता, आराजी संख्या 4255/2 रकबा 0.05 है0.रास्ता, आराजी संख्या 2456/1 रकबा 0.01 है0 रास्ता कुल किता 4 कुल रकबा 0.09 है0 भूमि अब्दुल रहीम 1/3, मोहम्मद सबीर 1/3 मोहम्मद सलीम 1/3 पिता मोहम्मद बसीर मोची मुसलमान सा.देह खातेदार रहन बी.ओ.बी. रायपुर तथा खाता संख्या 12 में प्रस्तातिव आराजी संख्या 4215/1 रकबब 0.29 है0 भूमि अब्दुल रहीम पिता मोहम्मद बसीर रहमानी मुसलमान सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 4213/2 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 4214/2 रकबा 0.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0. 28 है0 भूमि मोहम्मद सबीर पिता मोहम्मद बसीर रहमानी सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 4213/1 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 4214/1 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 4215/2 रकबा 0.13 है0 कुल किता 3 कुल रकबा [illegible] भूमि मोहम्मद सलीम पिता मोहम्मद बसीर रहमानी मुसलमान के नाम रखते हुए रेकार्ड [illegible] जावे।

वाद में डिक्री आज [illegible]5.2022 [illegible] हस्ताक्षर से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:32:35 IST
Reason: SelfAttested

26/05/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा